समाहरणालय वैशाली (हाजीपुर)

कार्यालय–आदेश

वैशाली जिले में अवस्थित सरकारी विद्यालयों का शिक्षा विभाग के अधिकारियो के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाया जा रहा है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा शैक्षणिक गतिविधि के समय भी मोबाईल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि एवं पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों का ऐसा आचरण विभागीय नियम के विरूद्ध है एवं शिक्षकों हेतु निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है इससे विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 एवं RTE Act के बच्चों के लिए निर्धारित शिक्षा के अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अतः उक्त के आलोक में सभी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाता है कि विद्यालय के समय में शैक्षणिक गतिविधि के दौरान मोबाईल का प्रयोग नहीं करेंगे एवं सुबह का Attendance Mark कर अपना मोबाईल प्रधानाध्यापक की अभिरक्षा में अथवा अपने बैग आदि में रखना सुरक्षित करें। निरीक्षण के क्रम में यदि कोई शिक्षक शैक्षणिक गतिविधियों के समय मोबाईल अनावश्यक रूप से इस्तमाल करते पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संयुक्त रूप से संबंधित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे। **स्मरण रहें कि समाज को शिक्षित करना एक महान कार्य है। इसे गुणवत्तापूर्ण रूप से सभी बच्चें को समान रूप से उपलब्ध कराकर राज्य के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें।**

ह0/– 2/05/2026

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

ज्ञापांक 998 /हाजीपुर, दिनांक 02.05.26
प्रतिलिपिः सभी शिक्षक/प्रधानाध्यापक, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा विभाग), वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 2/05/2026

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

Scanned with OKEN Scanner